छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 210/2008

1. श्री प्रेमचन्द लूनावत, – *अपीलार्थी*
विकास विला, सी0एम0 हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास (कार्यक्रम),
जिला कार्यालय परिसर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 13 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री प्रेमचन्द लूनावत द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास (कार्यक्रम), जिला कार्यालय परिसर, रायपुर के समक्ष दिनांक 19.07.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.12.2007 को अपील भी प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 18.02.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक को जन सूचना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह बताया गया कि संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध है और कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने छः स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी जानकारी नहीं दी है, अतः अधीक्षक, आंबेड़कर चिकित्सालय तथा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग को सुनवाई के लिए बुलाया गया। कार्यपालन अभियंता द्वारा उत्तर नहीं भेजने के कारण उन्हें पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं बिन्दु क्रमांक–5 एवं 6 की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से ही दी जाना थी, अतः उनके जन सूचना अधिकारी को भी पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरांत भी कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई। अपीलार्थी अधीक्षक, आंबेडकर चिकित्सालय से मिली जानकारी से संतुष्ट हुये, किन्तु अंतिम सुनवाई दिनांक को उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग से तो उन्हें अधिक जानकारी नहीं चाहिए, किन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और वहॉ ही उनके द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। प्रकरण में चूंकि कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, क्रमांक–1 को शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु उसका न तो उन्होंने उत्तर दिया और न ही व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

लिए उपस्थित हुये, भले ही उनसे संबंधित अधिक जानकारी नहीं है, किन्तु सूचना का अधिकार के प्रति उनका रवैया लापरवाहपूर्ण भरा प्रतीत होता है, अतः उनके प्रति थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, क्रमांक–1 पर एक हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर ने भी चूंकि जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है और कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर भी नहीं दिया है, अतः उनकी भी लापरवाही प्रतीत होती है, इसलिए अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत विलंब के लिए उनके विरूद्ध राशि दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही संचालक, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़ को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी जिला कार्यालय अथवा संचालनालय में जहॉ भी उपलब्ध हो अथवा चूंकि छत्तीसगढ़ बनने के पूर्व की यह जानकारी हो सकती है तो संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश में भी उपलब्ध हो अथवा उस समय जो भी अधिकारी कार्यरत रहे हैं, उनसे पूछताछ की जाकर अपीलार्थी को वांछित जानकारी ढूंढ़कर अब 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे । प्रकरण में सुनवाई के दौरान अधीक्षक, आंबेड़कर चिकित्सालय को भी निर्देश दिये गये थे कि वास्तविक उपयोग के लिए धर्मशाला भवन के लिए शीघ्र उचित व्यवस्था अपनी स्वशासी समिति की बैठक में निर्णय लेकर करावे तथा की गई कार्यवाही से आयोग एवं अपीलार्थी को अवगत करावे, किन्तु उसके संबंध में अंतिम निर्णय होना प्रतीत नहीं होता है, अतः सचिव, स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस संबंध में आगामी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराया जाकर ऐसा कदम उठाया जावे, ताकि धर्मशाला का वास्तविक उपयोग लोक हित में हो सके और अपीलार्थी के आवेदन के पीछे जो मंशा है, उसकी भी पूर्ति हो सके । प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com